

672161977

RFX

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2017-2018/ 10454
सेवा में,

दिनांक- 24.08. 2017

1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंबई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकाता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500463
31.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

04 SEP 2017

No.

O/o Pri. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
06-SEP-17

485618

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2016-18/

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक)

विषय- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन। पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को 01 जुलाई 2016 से महंगाई राहत 02% तथा 01 जनवरी 2017 से महंगाई राहत 04% की स्वीकृति।

- A सन्दर्भ - (1) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या- 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017 VII CPC
- B (2) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-136/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017 VII CPC - corrigendum
- C (3) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-95/XXVII(07)/02/2016 दिनांक- 17/05/2017 DR 4/ 1.1.17
- D (4) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-297/XXVII(07)/02/2016 दिनांक- 30/12/2016 DR 2/ 1.7.16

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संग्रहण कर प्रेषित की जा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय


वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-10
संख्या /36/2017/45/XXVII(10)/2016
देहरादून: दिनांक 05 मई, 2017

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 के पैरा-2 में द्वितीय लाईन में त्रुटिवश दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के पैरा-2 में 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 के स्थान पर 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /36/2017/45/XXVII(10)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

5/5/2017